

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 93/2022 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1- गजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---वादी

बनाम

1- अमरा पुत्र रत्ता कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2- घीसा पुत्र खेमा कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3- सीताराम पुत्र रत्ता कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

4 -मोहन पुत्र खेमा कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

5- बनेसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

6- महावीर पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

7- बिजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

8- शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

9- सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

10- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा - 53 राज० काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित:-

01 श्री मुकेश कुमार जैन

02 श्री विनोद कुमार तिवाड़ी

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 8, 9

:: निर्णय ::

दिनांक 16.08.2022

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का रामपुरिया के खाता संख्या 32 में अंकित आराजी नंबर 231 रकबा 1.2267 हैक्टर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सैदव मेड़ पाली की घास काटने तथा खेत की हकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण 01 से 05, व 07, उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06, 08 व 09 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की भौका रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

कर ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का रामपुरिया के खाता संख्या 32 में अंकित आराजी नंबर 231 रकबा 1.2267 हैक्टयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है -

क - गजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपुत सा0 देह खातेदार -

आराजी नंबर	हैक्टयर	किस्म	लगान
231/1	0.2580	नहरी II	2.24

कुल किता 1 रकबा 0.2580 हैक्टयर

ख - अमरा पुत्र रता हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, घीसा पुत्र खेमा हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, मोहन पुत्र खेमा हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, सीताराम पुत्र रता हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, पारसकँवर पत्नी प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, बन्नेसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, महावीर पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, विजेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	हैक्टयर	किस्म	लगान
231/2	0.9434	नहरी II	8.21
231/2	0.0253	बारानी III	0.05
योग	0.9687		8.26

कुल किता 1 रकबा 0.9687 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड (महोपाय्य सिंह) देन

सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 93/2022 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

- 1- गजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
--वादी

बनाम

- 1- अमरा पुत्र रत्ता कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2- घीसा पुत्र खेमा कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3- सीताराम पुत्र रत्ता कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4- मोहन पुत्र खेमा कुमावत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5- बनेसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6- महावीर पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7- बिजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8- शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
9- सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत उम्र वयस्क, नि० सबलपुरा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा

--प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 01 से 05 अनुपस्थित व प्रतिवादी संख्या 06, 08, 09 की ओर से अधिवक्ता विनोद तिवाड़ी एव परोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 16.08.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि --और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि -- को दी जायें।

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का रामपुरिया के खाता संख्या 32 में अंकित आराजी नंबर 231 रकबा 1.2267 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है -

क - गजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपुत सा० देह खातेदार -

आराजी नंबर	हैक्टर	किस्म	लगान
231/1	0.2580	नहरी II	2.24

कुल कित्ता 1 रकबा 0.2580 हैक्टर

ख - अमरा पुत्र रत्ता हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, घीसा पुत्र खेमा हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, मोहन पुत्र खेमा हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, सीताराम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक वक्ता करेड़ा

पुत्र रता हिस्सा 2961/16145 जाति कुमावत, पारसकँवर पत्नी प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, बन्नेसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, महावीर पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, विजेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, शैतानसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 4301/96870 जाति राजपुत, सा. देह खातेदार


आराजी नंबर	हैक्टयर	किस्म	लगान
231/2	0.9434	नहरी II	8.21
231/2	0.0253	बारानी III	0.05
योग	0.9687		8.26

कुल किता 1 रकबा 0.9687 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा